

उत्तराखण्ड शासन,
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग,
संख्या: 170 /XXXVI(3)/2017/12(1)/2017
देहरादून: दिनांक : 29 अप्रैल, 2017
अधिसूचना

उत्तराखण्ड के राज्यपाल की यह राय है कि उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा में आंग्ल- भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, अतः उत्तराखण्ड के श्री राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 333 सपठित अनुच्छेद 334 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जॉर्ज आईवान ग्रेगेंरी मैन, पुत्र स्व० श्री आई०एल०जी० मैन, निवासी 26- कर्जन रोड, डालनवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड को उत्तराखण्ड की चतुर्थ विधान सभा के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हैं।

आज्ञा से,


(भारत भूषण पाण्डेय)
अपर सचिव।

पू०संख्या: ¹⁷⁰ /XXXVI(3)/2017/12(1)/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

- 1- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2- निजी सचिव, मा० अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
- 3- निजी सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
- 5- सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
- 6- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित 100 प्रतियां प्रकाशित कर शासन को उपलब्ध कराने हेतु।
- ✓ 7- नाम निर्दिष्ट मा० सदस्य।
- 8- कार्यालय पंजी।

आज्ञा से,


(भारत भूषण पाण्डेय)
अपर सचिव।